

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक:एफ.28( )परावि/प्रशा.2/पंचा-प्रग.प्र.अ./स्था.पद./2016/ 2432 जयपुर,दिनांक: 16/6/17

:: आदेश ::

विभागीय आदेश क्रमांक एफ.28(16)परावि/प्रशा.2/ग्रासे/पदोन्नति(जाँच)/2013/ पार्ट-1/5092 दिनांक 26.12.2016 एवं 169 दिनांक 12.01.2017 द्वारा ग्राम सेवक से पदोन्नत पंचायत प्रसार अधिकारी को निम्नानुसार रिक्त पदों पर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान (कॉलम सं.5) पर तत्काल प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है:-

क्र. सं.	ग्रा.से.का वरिष्ठता क्रमांक	नाम पंचायत प्रसार अधिकारी सर्वश्री	कहाँ से (पं.स.)	कहाँ को
1	2	3	4	5
1	1171	श्री मदन लाल	पं.स. बुहाना (झुंझुनू)	पं.स. राजगढ़ (चुरु)
2	1407	श्री भंवर लाल सिंघाड़िया	पं.स. मेडता (नागौर)	पं.स. मूण्डवा (नागौर)
3	2037	श्री हिम्मतराम/ राणाराम	पं.स. लूणी (जोधपुर)	जिला परिषद जोधपुर
4	2822	श्री ओमप्रकाश शर्मा/रामजी लाल	पं.स. लालसोट (दौसा)	पं.स. सांगानेर (जयपुर)
5	1676	श्री अर्जुनसिंह/ भूराराम	पं.स. सेड़वा (बाडमेर)	पं.स. सेड़वा (बाडमेर)

उक्त कार्मिक तत्काल पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण कर पालना रिपोर्ट भिजवायेगे।

आज्ञा से,



(हेमन्त स्वरूप माथुर)

शासन उप सचिव (जाँच)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
4. जिला कलेक्टर संबंधित
5. मुख्य/अति. मुख्य कायकारी अधिकारी, जिला परिषद संबंधित।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त पंचायत प्रसार अधिकारियों को तत्काल कार्यग्रहण/कार्यमुक्त कर अविलम्ब पालना रिपोर्ट भिजवाये। साथ ही यदि उक्त आदेश में अंकित वर्तमान पदस्थापित स्थान (कॉलम सं.04) भिन्न हो और वह वर्तमान में आपके अधीन पदस्थापित हो तो भी पालना सुनिश्चित करावें। अन्यथा राज्यादेशो की अवहेलना मानी जावेगी।
7. आदेश वर्णित संबंधित पंचायत प्रसार अधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि राज्यादेशो की पालना में पदस्थापित स्थान पर तत्काल कार्यग्रहण करना सुनिश्चित करें। अन्यथा राज्यादेशो की अवहेलना मानी जावेगी।
8. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
9. आदेश पत्रावली



शासन उप सचिव (जाँच)